18/11/24 पत्रावली पेशी में ली गई। अवलोकन किया गया। वादी ने वाद पत्र कर निवेदन किया कि चक 11 HMH प.न. 143/260 मु.न. 16/1/125 तादादी 6.325 में 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खे. में वादी का नाम केसर सिंह दर्ज रिकॉर्ड है जबकि वादी का सही नाम केसरी सिंह है। समर्थन में दस्तावेज पेश किये। वाद पत्र दर्ज कर तहसीलदार हनुमानगढ़ से Report प्राप्त की गई। तहसील पत्रांक LR/4149 दिनांक 18/11/24 द्वारा अंकित किया गया है कि केसर सिंह व केसरी सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में केसरी सिंह/बाग सिंह दर्ज है। पत्रावली का अवलोकन किया व दस्तावेजों का मिलान किया। वाद पत्र स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 11 HMH के खाता न. 18/1 में दर्ज तादादी 6.325 में खातेदार केसर सिंह पुत्र बाग सिंह की जगह केसरी सिंह पुत्र बागसिंह दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। शेष प्रविष्टि यथावत रहे। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.01.11 21:04:42 IST
Reason: SelfAttested